

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-01/क्षे०स्था०-(अनुकंपा) 67-58/2024/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**-(i) यह नियमावली 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2025' कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7095 दिनांक-15.07.2021 के निर्गमण की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2019" के नियम-5 के उपनियम-(1) का संशोधन। उक्त नियमावली के नियम -5(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

"5(1) "निम्नवर्गीय लिपिक के 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अध्याचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।"

(प्रथम संशोधन)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-01डी/क्षे०स्था०(अनुकंपा)-67-58/2024 7286

पटना, दिनांक:-03/09/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक: -01डी/क्षे0स्था(अनुकंपा)-67-58/2024 7286

पटना, दिनांक:- 03/09/2025

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-01डी/क्षे0स्था(अनुकंपा)-67-58/2024 7286

पटना, दिनांक:- 03/09/2025

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।



सरकार के सचिव

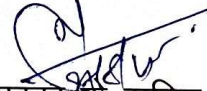
बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-01डी०/क्षे०स्था०-(अनुकंपा)67-58/2024-7666/03/09/2025
अधिसूचना संख्या-7286 दिनांक-03/09/25 के तहत निर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(प्रथम संशोधन)

बिहार के राज्यपाल के आदेश से


सरकार के सचिव

Government Of Bihar
SC & ST Welfare Department
Notification

No-1D/Kshe0Stha(Anukampa)-67-58-2024-7286 Patna, Dated- 03/09/2025
-----/In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the **The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Welfare Department Regional Clerical Cadre (recruitment and service conditions) Rules, 2019 (as amended from time to time):-**

1- **Short title, extent and commencement:-** (i) These Rules may be called as the The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Welfare Department Regional Clerical Cadre (recruitment and service conditions) (Amendment) Rules, 2025"

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into effect from the date of issuance of Resolution no.- 7095 dated 15.07.2021 of General Administration Department, Bihar, Patna.

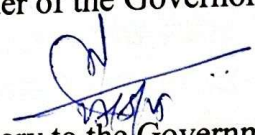
2. **Substitution of Rule 5(1) of The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Welfare Department Regional Clerical Cadre (recruitment and service conditions) Rules, 2019.-** Sub rule (1) in Rule-5 of the said rules shall be substituted as follows-

"(1) Eighty five (85) percent posts of Lower Division Clerks shall be filled through direct recruitment and remaining 15 percent posts shall be filled (without taking any examination) from office Attendant/Attendant (specific), who hold requisite qualifications prescribed for appointment to the post of Lower Division Clerks, on the basis of their seniority.

The dependents of such government servants, who expire in harness shall be considered for the appointment on compassionate ground against vacant posts for direct recruitment, on fulfilling the requisite eligibility criteria, for which recommendation of the Commission shall not be required.

Provided that after the said compassionate appointment(s) are made, requisition for remaining vacancies of each year shall be sent to the Commission latest by the month of December of that calendar year."

By the order of the Governor of Bihar


Secretary to the Government